IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

आदिवासी महिलाओं के विकास में कल्याणकारी योजना का प्रभाव (छत्तीसगढ़ के वि"ोश संदर्भ में)

Impact of Welfare Scheme on the Development of Tribal Women

DR .ELIZABETH BHAGAT

ASST.PROFESSOR

GOVT.V.Y.T. PG. AUTONOMUS COLLEGE DURG(C.G.)

Abstract: किसी भी अन्य सामाजिक समूह की तरह, आदिवासी महिलाएं कुल आबादी का लगभग आधा हिस्सा हैं। सभी सामाजिक समूहों की महिलाओं की तरह, आदिवासी महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक निरक्षर हैं। अन्य सामाजिक समूहों की तरह, आदिवासी महिलाएं प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को साझा करती हैं। जब प्राथमिक और माध्यमिक निर्वाह गतिविधियों की गणना की जाती है, तो महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक काम करती हैं। विभिन्न समाजों में महिलाओं की स्थिति अलग–अलग होती है। महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण करने के लिए वैचारिक ढांचे में जीवन और कार्य में महिलाओं द्वारा निभाई जाने वाली निम्न भूमिकाएं शामिल हैं –जो कि माता–पिता, वैवाहिक, घर, रिश्तेदार, व्यवसाय, समुदाय और एक व्यक्ति के रूप में है। –एक महिला की भूमिका में एक लड़की बेटी एक अविवाहित महिला, एक विवाहित महिला, एक विधवा महिला, एक तलाकशुदा और एक बांझ महिला शामिल है। सभी आदिवासी समाज पितृसत्तात्मक हैं, जहाँ पुरुष सार्वजनिक क्षेत्र पर हावी हैं। हालाँकि, अपनी दुनिया में महिलाओं को स्वतंत्रता और आत्म–अभिव्यक्ति का अधिकार है। विकास कार्यक्रमों की शुरूआत के साथ आर्थिक परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन आदिवासी महिलाएँ अपनी पोशाक, भाषा, औजारों और संसाधनों के मामले में पारंपरिक बनी हुई हैं क्योंकि वे नकदी फसलों के बजाय खाद्य फसलें उगाती हैं। वर्तमान योजना एवं आधुनिकीकरण ऐसे बदलाव ला रहा है जो महिलाओं को अलग–अलग तरीके से प्रभावित करते हैं। [1]

I. INTRODUCTION

महात्मा गांधी ने मेरे सपनों का भारत में लिखा है कि महिलाएँ पुरुषों की साथी हैं, उनकी मानसिक शक्तियाँ पुरुषों से कम नहीं हैं, उन्हें हर काम में पुरुषों की मदद करने का अधिकार है और उन्हें पुरुषों जितना ही स्वतंत्रता का अधिकार है। अपने क्षेत्र में उनकी सर्वोच्चता को उसी तरह स्वीकार किया जाना चाहिए जिस तरह पुरुषों को अपने क्षेत्र में स्वीकार किया जाता है। जीवन की योजना बनाने में जितना और जितना अधिकार पुरुषों को अपने भविष्य को बनाने का है, उतना ही महिलाओं को भी अपने भविष्य को तय करने का अधिकार है।

जनगणना 2011 छ.ग में आदिवासीयों की कुल आबादी 30.60 प्रतिशत है. छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति की आबादी 78,22,902 है. परियोजना क्षेत्र अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के कुल पुरुष जनसंख्या 85118, महिला जनसंख्या 88859 इस प्रकार कुल जनसंख्या 173977 है।

छत्तीसगढ़ में 42 जातियां और 161 उपजातियां हैं – छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों की सूचीः – अगरिया, आन्ध, बैगा, भैना, भारिआ, भतरा, भील, भील मीना, भुंजिया, बिरहोर शामिल है। [2]

छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा क्षेत्र हैं– इनमें से 29 सीटें अनुसूचित जनजाति और 10 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं.

छत्तीसगढ़ के ये जिले पूरी तरह से आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।[3]

छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजाति महिलाएँ स्थिति एवं विकास :–

प्राचीन भारत का दक्षिण कोसल राज्य जो समय के साथ छत्तीसगढ़ के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। इसकी वन और खनिज संपदा, प्राकृतिक सुंदरता के साथ–साथ सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले भोले–भाले वनवासियों की कला, संस्कृति, रीति–रिवाज, जीवनशैली ने भी दुनिया के समाज विज्ञानियों के मन पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। 1857 में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम की मशाल जलाने का श्रेय अमर शहीद मंगल पांडे, नाना साहब, महारानी लक्ष्मीबाई आदि को जाता है। छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की मशाल जलाने का गौरव छत्तीसगढ़ के वीर सपूत शहीद वीरनारायण सिंह (बिंझवार जनजाति) को जाता है, जो इनके समकालीन थे। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के गोविंदपुर गांव की आदिवासी महिला राजमोहिनी देवी का सामाजिक–धार्मिक विकास आंदोलन 1951 से 1976 की अवधि में राज्य के उत्तरी आदिवासी क्षेत्र में विशेष रूप से प्रभावशाली रहा।

भारत की पूरी आबादी का आठवां हिस्सा आदिवासी है। हर आठ भारतीय में एक व्यक्ति आदिवासी है। आदिवासी महिलाओं का सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामयिक परिवेश में महत्त्व कहीं अधिक है। फिर भी शिक्षा के क्षेत्र में इनका प्रतिशत शून्य है। औरत चाहे महानगर या नगर की सभ्य, पढ़ी–लिखी जागरुक औरत हो या जंगलों में बसी, कबीलों में बंटी निरक्षर आदिवासी औरत पुरुष की सोच में कोई फर्क नहीं है।

आदिवासियों में और कई जनजातियों में आज भी मातृसत्ता ही है। सामाजिक सत्ता स्त्री के हाथों में ही है। इनका गोत्र भी माँ के नाम से ही चलता है। कमोबेश यह स्थिति पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी है। स्त्रियों का यहाँ वर्चस्व है और सारी संपत्ति पर बेटियों का अधिकार है फिर भी फैसलों के मामलों में परिवार मामा और पिता पर निर्भर रहते हैं। बाजार पर स्त्रियों का ही अधिपत्य रहता है। चूँकि महिलाएं श्रम से जुडी हुई हैं, इसलिए वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं और यही कारण है कि वे अपना निर्णय लेने के लिए भी आजाद हैं। अर्थ का तंत्र उनके हाथों में है इसलिए आर्थिक रूप से वे ही परिवार की धुरी हैं।[4]

आदिवासी समाज में कुछ परंपराएँ औरतों के हित में भी हैं। उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं किया जाता शादी और तलाक को लेकर भी उनके अपने अधिकार हैं। वे मर्दों के साथ खेती, जंगल, पशुपालन आदि कामों में बराबरी का हिस्सा लेती है। अगर कोई स्त्री अपनी इच्छा से किसी से भी विवाह कर लेती है तो माता–पिता या परिवार उसका बहिष्कार नहीं करता। इसके साथ ही हमारे यहाँ दहेज जैसी भी कोई प्रथा नहीं है, बल्कि इसके विपरीत वर पक्ष एक किस्म का वधू मूल्य लड़की को देता है, जो कि जमीन या धन के रूप में हो सकता है। कोई भी स्त्री अगर अपने विवाह से सुखी नहीं है या रिश्ते में किसी प्रकार की कोई अनबन होती है तो वह उस रिश्ते को निभाने के लिए बाध्य भी नहीं की जाती। यह पुनर्विवाह करने के लिए भी आजाद है, जिसमें कि जो भी दूसरा पति होगा वो उस महिला का वधूमूल्य उसके पूर्व पति को लौटा देता है। यही वजह है कि यहाँ बेटी का जन्म कोई बोझ नहीं समझा जाता।

आदिवासियों में आज भी पति–पत्नी के बीच सम्बंध–विच्छेद होते हैं। मामूली बातों को लेकर पत्नी अपने पति को अलविदा कह देती है। बस उसे दावा बूंदी प्रथा के अनुसार अपना फैसला पंचों को बताना होता है। पंच पूर्व पति को विवाह में आए खर्च का भुगतान करवाकर एक बैठक में किसी फलदार वृक्ष की लकड़ी को दोनों पक्षों से तुड़वा देते हैं और मान लिया जाता है कि अब इनके बीच जिनके के बराबर भी रिश्ता नहीं रहा।

आदिवासी समाज में स्त्रियों को लांछित करना, उनका अपमान करना आम बात है ऐसा नहीं कि सारे आदिम समुदाय स्त्री की दशा को लेकर दूध के धुले हैं। ऊपरी हवा यानी भूत–प्रेत, जादू–टोना, देवात्मा का किसी व्यक्ति के शरीर में आ जाना जैसी कुप्रथाओं से संबंधित खबरें देखने–सुनने को मिलती रहती हैं। स्त्री की दशा को लेकर सबसे खतरनाक डायन प्रथा मानी जाती है। इस प्रथा को पूरी तरह आदिवासी समाज से जोड़ कर देखा जाने लगा है। भारत ही नहीं, इस प्रथा को वैश्विक संदर्भ में देखें तो ये तथ्य सामने आते हैं कि इसका अस्तित्व प्राचीन काल से संसार के अनेक भू–भागों में मिलता है। भारत में शाकिनी, डाकिनी, चुड़ैल और डायन जैसी संज्ञाएं इस परंपरा को दी गईं। वात्स्यायन के कामसूत्र में शाकिनी का जिक्र मिलता है। भगवान शिव के पौराणिक संदर्भों में शाकिनी, डाकिनी, पिशाचिनी, भैरवी, चंडिका, जोगिनी आदि नाम शक्ति की उपासना से संबंधित हैं। बौद्ध और जैन ग्रंथों में भी शकुनिका के नाम से स्त्री संबंधी इस मिथक को स्थान दिया गया है। आदिवासियों के समाज में औरतों को जो स्थिति पहले थी अब वह नहीं रह गई है। उन्हें नीची दृष्टि से देखा जाता है। संपत्ति पर उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। धार्मिक मामलों में उन्हें बाहर रखा जाता है निर्णय लेने में भी उनकी कोई

महत्त्वपूर्ण भूमिका नहीं है आदिवासी आंदोलनों में औरतों की काफी सक्रिय भूमिका रही है लेकिन इसके बावजूद आदिवासी महिलाओं का कोई विशेष नेतृत्व नहीं रहा। वैसे तो आदिवासी स्त्रियाँ सदियों से अपने प्रति हो रहे शोषण के खिलाफ लड़ रही हैं। अब गैर–सरकारी संस्थाएँ भी इन्हें सहयोग दे रही हैं। नारी जागरुकता आंचलिक इलाकों तक पहुँच गई है और इसका शंखनाद करने में वे पीछे नहीं हैं। उसने कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा है जो धीरे–धीरे जंगल, पहाड़ तक पहुँचकर आदिवासियों के द्वार खटखटा रहा है। नई सोच और संस्कृति के प्रति आवाहन कर रहा है। दण्डकारण्य में कई स्त्रिया अपनी जान हथेली पर लेकर आदिवासी महिलाओं को संगठित कर उनका मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। आदिवासी स्त्रियाँ प्रगतिशील हैं और निरंतर संघर्षरत हैं। इसका प्रमाण आप आदिवासी स्त्रियों के पर्यावरण संरक्षण से जुड़े बड़े आन्दोलनों में सहज ही देख सकते हैं।

सिनेमा में हमेशा उन्हें गरीब लाचार दिखाया जाता है, यहाँ तक कि मुख्यधारा के हिंदी साहित्य में भी अक्सर आदिवासी समाज का एक खास नकारात्मक चित्रण देखने को मिल जाता है और इन्हें आधार बनाकर आदिवासी समाज के बारे में जो धारणा बनती है ज्यादातर भ्रान्तिमय और गलत होती है। आदिवासी समाज की वर्तमान स्थिति अब सुधरने लगी है। वे जागरूकता की ओर अग्रसर हैं। वे शिक्षा के महत्व को समझ रहे हैं। अपनी विरासत को संभाले हुए आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें कई ऐसे हैं, जो अपने क्षेत्र से निकलकर शहरों में सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं। मगर आज भी ये सरकार द्वारा उपेक्षा का व्यवहार झेल रहे हैं। इनके विकास में परियोजना आदि अवश्य होती हैं मगर इनका लाभ इन्हें नहीं मिलता है। यह फाइलों के मध्य ही दब कर रह जाती है। इतना सब होते हुए भी इनका अस्तित्व बना हुआ है क्योंकि इन्होंने लड़ना सीख लिया है।

(चित्र – आदिवासी महिलाओं की संर्घषमय जीवन यापन)

एक ओर राज्य समाज कल्याण विभाग वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए नियम लागू करता है, वहीं दूसरी ओर परिस्थितियों के कारण आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने वाले या देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों के पुनर्वास के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। राज्य में समूहों को संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। समाज कल्याण विभाग अपने सीमित संसाधनों से दिव्यांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और परित्यक्ता महिलाओं तथा निराश्रित व्यक्तियों के लिए योजनाएं लागू करता है। राज्य में दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995, माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम 2007, राष्ट्रीय न्यास (ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहुदिव्यांगता वाले व्यक्तियों का कल्याण) अधिनियम 1999, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2000 के प्रावधानों को सकारात्मक और व्यावहारिक तरीके से लागू किया जा रहा है। दिव्यांग व्यक्तियों की शीघ्र पहचान से लेकर उनके सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास के लिए राज्य में योजनाएं चलाई जा रही हैं। 1 अक्टूबर को अन्तर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर वरिष्ठ नागरिकों द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्यों एवं उनके दीर्घकालिक अनुभवों के प्रति समाज के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए ग्राम पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया जाता है। माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के प्रावधानों पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। प्रदेश में 12 लाख से अधिक व्यक्तियों को पेंशन प्रदान कर सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में आपातकालीन स्थिति के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था की गई है। छ.ग राज्य में संचालित कल्याणकारी आदिवासी महिलाओं के विकास में सार्थक सिद्ध हो रही है जिसे आदिवासी महिलाओं के आर्थिक सामाजिक जिवन में बदलाव दिखाई पड़ते है।

विशय वस्तु :– छ.ग राज्य में संचालित कल्याणकारी योजनाएं एवं आदिवासी महिलाओं पर प्रभाव–

समाज कल्याण विभाग अपने दायित्वों के अनुरूप समाज के वंचित एवं पीड़ित वर्ग के लिए कार्य कर रहा है जो कि आदिवासी महिलाओं के लिए भी समान रूप से लागू है :–

सामाजिक सहायता कार्यक्रम :– इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रही हैं–

1. **सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना** – राज्य सरकार द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य के मूल निवासी, जो निम्न में से किसी एक श्रेणी में आता हो, को 200– रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है – जिसमें 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के निराश्रित वृद्धजन। 50 वर्ष या उससे अधिक आयु की निराश्रित विधवा परित्यक्त महिलाएं। 6 से 14 वर्ष की आयु के निराश्रित दिव्यांग, स्कूली छात्र एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के दिव्यांग बच्चे, भले ही वे निराश्रित न हों। 14 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित दिव्यांग व्यक्ति।
2. **सुख सहारा योजना** – राज्य में 18 से 50 वर्ष की आयु की निराश्रित विधवा परित्यक्त महिलाओं को 200– रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जाती है। योजना का उद्देश्य विभिन्न लाभार्थी परक योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को पुनर्वास होने तक सहायता प्रदान करना है।
3. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना** – इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 2 अक्टूबर 1995 से संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को स्थानीय निकायों के माध्यम से 300 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान किया जाता है। जिसमें 100 रुपये का अंशदान राज्य सरकार द्वारा तथा 200 रुपये का अंशदान केन्द्र सरकार से अतिरिक्त सहायता प्राप्त करके पूरा किया जाता है।[5]
4. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना** – इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना फरवरी 2009 से संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत स्थानीय निकायों के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली 40 से 64 वर्ष आयु वर्ग की विधवाओं को 200 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान किया जाता है। केंद्र सरकार से अतिरिक्त सहायता प्राप्त करके 200 रुपये का भुगतान किया जाता है।
5. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना** – इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना फरवरी 2009 से संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत स्थानीय निकायों के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली 18–64 वर्ष आयु वर्ग की गंभीर (एक प्रकार की विकलांगता जो 80 प्रतिशत से अधिक है) और बहु विकलांगताओं को 200 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान किया जाता है। केंद्र सरकार से अतिरिक्त सहायता प्राप्त करके 200 रुपये का भुगतान किया जाता है।
6. **राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना** – राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के पुरुष या महिला मुखिया की प्राकृतिकध्दुर्घटनावश मृत्यु होने पर, जिनकी आय से परिवार का अधिकांश खर्च चलता हो तथा जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक या 65 वर्ष से कम हो, परिवार के उत्तराधिकारी मुखिया को 10,000– रूपये की निःशुल्क सहायता प्रदान की जाती है।
7. **वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्यक्रम** –प्रदेश के निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम 1970 अंतर्गत अशासकीय संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों को वृद्धाश्रम संचालन हेतु जिले में संग्रहित निराश्रित निधि की ब्याज राशि से पात्रता अनुसार 90 प्रतिशत राशि प्रदाय की जाती है। प्रदेश में 17 वृद्धाश्रम संचालित हैं जहां 362 वृद्धजन लाभान्वित हो रहे हैं। प्रदेश में निराश्रित निधि की ब्याज राशि से जिला राजनांदगांव, बस्तर, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा, धमतरी, कबीरधाम, कांकेर एवं दन्तेवाड़ा में वृद्धाश्रम स्वैच्छिक संस्थाओं स्थानीय निकायों द्वारा संचालित किये जा रहे हैं।
8. **नशाबंदी कार्यक्रम** – प्रदेश में नशामुक्ति के पक्ष में जनजागृति निर्मित करने के लिये विभागीय क्षेत्रीय अधिकारियों के माध्यम से विभिन्न प्रचार–प्रसार के कार्यक्रम ग्राम स्तर तक संचालित किये जाते हैं, जिनमें मुख्यतः रैली, पोस्टर, होर्डिंग्स, नुक्कड़ नाटक, गीत, नृत्य, प्रदर्शनी , प्रतियोगिताएं, प्रश्नमंच तथा शासकीयध्अशासकीय कलाकारों के आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। मादक द्रव्य एवं नशीले पदार्थों के दुष्परिणामों के विचार हेतु जन सामान्य में जागरूकता विकसित की जाती है। नशाबंदी कार्यक्रम अन्तर्गत निम्न दिवसों का आयोजन किया गया– राज्य में 02 नशामुक्ति केन्द्र जिला रायपुर एवं बिलासपुर में केन्द्रीय अनुदान से स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित है। आदिवासी क्षेत्रो में

प्रचलित न"ाा प्रवृति की रोकथाम हेतु छ.ग पुलिस द्वारा निजात अभियान के अंतर्गत आदिवासी महिला तथा पुरूष को न"ाा सेवन को त्याग करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।

9. **कला पथक योजना** – शासन की संवेदनशील एवं विकासोन्मुखी जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रदेश के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक नाट्य, गीत एवं नृत्य के माध्यम से क्षेत्रीय बोली में जन सामान्य तक पहुंचाने के लिये राज्य के 07 जिलों में शासकीय कलाकारों की नियुक्ति की गई है, जो सभी 18 जिलों में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार–प्रसार करते हैं। प्रत्येक दल में 01 प्रमुख कलाकार तथा 07 कलाकार होते हैं।

वर्ष 2010–2011 में कलापथक दलों द्वारा दहेज प्रथा, नशाबंदी, बाल विवाह, छुआछूत उन्मूलन, परिवार कल्याण, निःशक्त कल्याण, एड्स, मलेरिया, ग्रामीण स्वच्छता तथा अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं पर केन्द्रित 630 कार्यक्रम प्रस्तुत किये गये। 15 जिलों में विभागीय मान्यता प्राप्त 146 अशासकीय कला मण्डली तथा 6 सांस्कृतिक संगठन कार्यरत हैं। विभागीय मान्यता प्राप्त कलामण्डलीध सांस्कृतिक संगठन को जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार–प्रसार सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से करने हेतु प्रतिवर्ष सहायक अनुदान प्रदाय किया जाता है। राज्य में लोक–संस्कृति, परम्परा, लोकषैली के माध्यम से विकासात्मक गतिविधियों के प्रचार–प्रसार करने के लिये राज्य स्तरीय लोकोत्सव का आयोजन जिला मुख्यालय अंतर्गत किया जाता है। [6]

वि"ोश आदिवासी महिलाओं के लिए योजनाएं –

10. ने"ानल भोडयूल्ड ट्राइब्स फाइनांस एंड डेवलपमेंट कारपोरे"ान

यह पात्र अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए एक विशेष रियायती योजना है।

एनएसटीएफडीसी की प्रमुख योजनाएं हैं टर्म लोन, आदिवासी महिला सशक्तीकरण योजना – अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए एक विशेष योजना, आदिवासी शिक्षा ऋण योजना – स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए माइक्रो क्रेडिट योजना – जिसमें अनुसूचित जनजातियों को इसके सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है, आदिवासी वनवासी सशक्तिकरण योजना... एक लागत 2.00 लाख रुपए प्रति ऋण सहायता।

अन्य योजनाएं –

1. **तेंदु पत्ता संग्रहण जिसे (हरा सोना) के नाम से भी जाना जाता है – इस योजना के माध्यम से आदिवासी महिलाओं को आर्थिक सहायता प्राप्त होती है।**
2. **महुआ संग्रहण,**
3. **अन्य लघु वन उत्पाद – चार, चिरौजी**
4. **खाद्यान सुरक्षा योजना**
5. **स्वास्थ्य योजना**
6. **महतारी सुरक्षा योजना**
7. **छात्रावास योजना**
8. **आवसीय विद्यालय**
9. **आश्रम शाला योजना**
10. **उज्जवला योजना**
11. **महतारी वंदन योजना**
12. **शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार एवं स्व. डॉ. भंवर सिंह पोर्ते आदिवासी सेवा सम्मान**
13. **अपृश्यता निवाणीर्थ प्रसंग**
14. **अ.जा.ध्अ.जा.जा. अत्याचार निवारण अधिनियम पुनर्वास एवं अनुरक्षण अनुदान**
15. **अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना**
16. **अनुसूचित जनजाति पो.मै. छात्रवृत्ति**

[6] आदिम जाति विकास विभाग प्र"ाासकीय प्रतिवेदन 2023

(महुआ एवं तेंदु पत्ता संग्रहण करती आदिवासी महिलाएं)

निश्कर्श :– छत्तीसगढ़ संविधान की 5वीं अनुसूची में सम्मिलित राज्य है। छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्रफल का 60 प्रतिशत से अधिक भू–भाग अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत है। अनुसूचित क्षेत्र की कुल जनसंख्या का लगभग 57 प्रतिशत भाग अनुसूचित जनजातियों का है। संविधान की पाँचवीं अनुसूची में वर्णित अधिकारों एवं आदिवासी क्षेत्रों के हितों का संरक्षण विभाग का प्रमुख दायित्व है। विभाग प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के महिलाओं के शैक्षणिक तथा आर्थिक उन्नति के साथ–साथ उनके सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं संवर्धन तथा सामाजिक न्याय प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है। राज्य बनने के पश्चात्, अनुसूचित जनजाति आस्था स्थलों के संरक्षण एवं विकास को चुनौती के रूप में स्वीकार किया गया है। जनसंख्या के अनुपात में विविध समस्याओं एवं आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में इन वर्गों के सर्वांगीण विकास को मूर्त रूप प्रदान करना विभाग की मुख्य प्राथमिकता रही है। इस हेतु विभाग द्वारा अनेक अभिनव योजनाएँ संचालित की जा रही है। शैक्षणिक उत्थान के साथ स्वरोजगारमूलक योजनाओं के माध्यम से आर्थिक आत्म निर्भरता तथा सामाजिक समरसता स्थापित करना विभाग का लक्ष्य है। राज्य के आदिवासी अंचलों के शैक्षिक विकास की दिशा में उल्लेखनीय कार्य प्रयास किए गए हैं।

आदिवासी उपयोजना के माध्यम से भी विभाग आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं के विकास के लिए कटिबद्ध है। इन क्षेत्र में आदिवासियों के व्यापक हित में एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं, माडा तथा विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरणों के माध्यम से जनजातियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें स्थानीय आदिवासी जनप्रतिनिधि भी नामांकित किए गए है ताकि वे क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यक्रमों की प्राथमिकताओं का जनजाति समुदाय के हित में निर्धारण कर सकें। जिससे विभिन्न विकास विभागों के उपयोजना कार्यक्रमों के अपेक्षित परिणाम प्राप्त हो सकें। आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों तथा आदिवासी बाहुल्य जनसंख्या वाले क्षेत्रों में स्थानीय विकास व अधोसंरचना निर्माण के कार्यों को गतिशील करने के लिए राज्य में बस्तर विकास प्राधिकरण एवं सरगुजा विकास प्राधिकरण के साथ–साथ नवगठित मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के माध्यम से स्थानीय विकास की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु अनुकरणीय प्रयास हुए हैं। इसी प्रकार अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण तथा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन के माध्यम से अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों ग्रामों का विकास किया जा रहा है। प्रदेश के वर्तमान औद्योगिक आर्थिक परिदृश्य के अनुक्रम में विभाग की ओर से छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एव विकास निगम द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के महिलाओं को रोजगार मूलक कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण संबंधित क्षेत्र में कार्यरत विशेष संस्थाओं के माध्यम से प्रदान कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1 गु”ौन दिपा”ाखा(2022) भारतीय समाज में आदिवासी महिलाओं की स्थिति,संवाद सूत्र पृष्ट 2

2 छ.ग शासन अनुसूचित जनजातियां आयोग

3 डॉ. वैष्णव के.टी, छ.ग की आदिम जनजातियां पृष्ट 22

4 डॉ.के एस नेताम(2023) *आदिवासी समाज में महिलाओं की स्थिति एवं भूमिका* IJRSCT 7.301

5 ग. शां पंडित, आदिवासी विकास योजना

6 आदिम जाति विकास विभाग प्र”ाासकीय प्रतिवेदन 2023

7 खान एम फिरोज, *आदिवासी जीवन की हकीकत*, विकास प्रका”ान